

29/3/23 फ़ावली पैरा हुई। वही एवं
वही वकील अनुपस्थित। न्यायालय के आदेश
की पालना नहीं कराई जाने के कारण मूल पद
0-9 R-2/0-9 R-5 में खरीज किया गया है।
प्राथमिक फ़ 212 आदेश दिनांक 11/01/20 की डायरी
खतर पर खरीज किया जाता है।

फ़ावली नम्बर से कम है।

बाद पूर्ण दारिजल वफ़र हो।

सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अलग) एम.